रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मार्च 11, 1971/फाल्गुन 20, 1892

No. 40] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 11, 1971/PHALGUNA 20, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March 1971

G.S.R. 344.—The following Order made by the President is published for general information:—

THE ASSAM AND MEGHALAYA (APPORTIONMENT OF GRANTS-IN-AID) ORDER, 1971

In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause (IA) of Article 275 of the Constitution, the President hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Assam and Meghalaya (Apportionment of grants-in-aid) Order, 1971.

2. The sums payable as grants-in-aid of the revenues of the State of Assam under clause (a) of the second proviso to clause (1) of article 275 of the Constitution shall, during the financial year 1970-71 and subsequent financial years, be apportioned equally between the State of Assam and the autonomous State of Meghalaya.

V. V. GIRI,
President.

[No. F. 12(3)-B/70.]

B. MAITHREYAN, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(अर्थ विभाग)

नई दिल्ली, 2 मार्च 1971

एस० ओ० 344.—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश, सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

असम और मेघालय (सहायक अनुदानों का विभाजन) आदेश, 1971

संविधान के अनुच्छेद 275 के खण्ड (1क) के उप-खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात:—

1. यह आदेश असम और मेघालय (सहायक अनुदानों का विभाजन) आदेश, 1971 कहा जायेगा ।

2. संविधान के अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के दूसरे परन्तुक के खण्ड (क) के अन्तर्गत असम राज्य के राजस्व में देय सहायक अनुदान की रकमें, वर्ष 1970–71 और उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में, असम राज्य और मेघालय के स्वायत्त राज्य के बीच बराबर-बराबर विभाजित की जायं ।

वी० वी० गिरि,
राष्ट्रपति ।

[सं० एफ० 12(3)-बी०/70.]

बी० मैत्रेयन, संयक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971